

3

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 416/2020 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ बनाम 1. रामू पुत्री भोजा गुर्जर निवासी मोई तहसील माण्डलगढ़

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 27.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मोई पटवार हल्का जालिया की आ.न. 332/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मोई पटवार हल्का जालिया की आ.न. 332/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी विपक्षी के पिता भोजा गुर्जर को आवंटित हुयी। विपक्षी को कभी भी नजराना राशि बाबत् कोई नोटिस आदि प्राप्त नही हुए हैं। विपक्षी आज भी नजराना राशि जमा कराने को तैयार हैं। प्रश्नगत आराजी पर विपक्षी का कब्जा हैं। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के करीब 31 साल बाद उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं, जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा जो जिंस गिरदावरी पेश की

④

गयी हैं, जो आवंटन के समय की नहीं होकर वर्तमान की पेश की हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम मोई के आ.न. 332/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम मोई के आराजी नं. 332/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम मोई की आ.न. 332/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-01 .2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा